अनुसूची १४-फारम सं0-४६२

आदेश-पत्रक

(ऐसे अभिलेख हस्तक, १९४१ का नियम १२९)

आदेश पत्रक - ता0.....से.....तक

जिला....., सं0....., सन् १९.....

केस का प्रकार.....

आदेश की क्रम संख्या कीस तारीख १	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर २	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख-सहित ३
21-11-2014	**आयुक्त न्यायालय, कोशी प्रमण्डल, सहरसा** भूमि विवाद अपील संख्या-256/2012 विनो मुखिया एवं अन्य ..... अपीलार्थीगण बनाम कुशेश्वरी देवी एवं अन्य .....विपक्षीगण **आदेश** यह अपील अपीलकर्त्ता द्वारा भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, सहरसा के भूमि विवाद वाद संख्या-5/2012 में पारित आदेश दिनांक 04.07.2012 के विरूद्ध दाखिल किया गया है। 2. उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्ता को सुना। निम्न न्यायालय के अभिलेख एवं वाद अभिलेख पर उपलब्ध कागजात का अवलोकन किया। 3. अपीलकर्त्ता अपने विद्वान अधिवक्ता के माध्यम से कथन संक्षेप में करते है कि विवादित भूमि खाता 373 (पुराना)/ 348 (नया), खेसरा 39 (पुराना)/ 268 (नया) रकवा 87.32 डीसमील अर्थात 1 बीघा एवं खाता 373 (पुराना)/ 348 (नया) खेसरा 39 (पुराना)/ 268 (नया) रकवा 87.32 डीसमील अर्थात 1 बीघा कुल रकवा 2 बीघा भूमि मौजा-बवुनियाँ थाना न0-24 थाना-नवहट्टा, जिला-सहरसा में स्थित है। यह भूमि ऐराजी राज बनैली की बकास्त भूमि थी। मालिक जमींदार राज बनौली उक्त भूमि लक्ष्मी रमा देवी पति अभ्यानन्द सिंह एवं प्रतिभा रमा देवी पति धनानन्द सिंह एवं राधा रमा देवी पति विजयानन्द सिंह एवं दिव्यानन्द सिंह एवं प्रमोदानन्द सिंह, पिता-राजा कालिकानन्द सिंह के नाम से बन्दोबस्त कर दिये तथा उनके नाम से जमाबंदी चल रही थी। लक्ष्मी रमा देवी एवं अन्य ने बजरिये पावर ऑफ अटार्नी होल्डर दिव्यानन्द सिंह एवं स्वंय सहित दिनांक 13.05.1960 ई0 को पुराना खाता 373 खेसरा 48,39 रकवा 7 बीघा 5 कट्ठा एवं पुराना खाता 373 खेसरा 33 रकवा 2 बीघा 10 कट्ठा अर्थात् कुल 9 बीघा 15 कट्ठा भूमि अपीलकर्त्ता के पूर्वज फतूरी मल्लाह पिता-गेना मल्लाह व मोती मल्लाह वो सोती मल्लाह पिता-मणि मल्लाह को फरोख्त कर दिये जिससे खरीदार दखलकार हुए। अपीलकर्त्ता के पूर्वजों (खरीदार) के नाम से वर्ष 1963 ई0 में उक्त भूमि का जमाबन्दी बिहार सरकार में कायम हुआ एवं मालगुजारी रसीद निरन्तर	

प्राप्त किया जाता रहा तत्पश्चात् वर्ष 2012 ई0 तक मालगुजारी रसीद अपीलकर्त्ता द्वारा प्राप्त किया गया। वर्ष 1964-65 में हाल सेर्वे की कार्यवाही आरम्भ हुई एवं वर्ष 1988 में खतियान का अन्तिम प्रकाशन हुआ, जो अपीलकर्त्ता के पूर्वज के नाम से बना। विद्वान अधिवक्ता का आगे कथन है कि विपक्षी द्वारा भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, सहरसा के न्यायालय में भूमि विवाद वाद संख्यसा-05/2012 दाखिल करते हुए दावा किया गया कि उक्त भूमि उन्हे बजरिए केवाला संख्या-9065 दिनांक 29.08.2011 नविस्ते सम्यानन्द सिंह बहक जोखन मुखिया एवं केबाला संख्या-9060 दिनांक 29.08.2011 नविस्ते सम्यानन्द सिंह बहक कुशेश्वरी देवी को प्राप्त है एवं हाल सर्वे खतियान में खाता नया 348/ खेसरा/ नया 268, रकवा 5 एकड़ 20 डीसमील भूमि अपीलकर्त्ता के नाम से गलत दर्ज हो गया तथा अपीलकर्त्ता द्वारा धमकी दिया जाने लगा तो पाया कि दफा 106 बी0टी0एक्ट0 वाद संख्या-28 888/86 में पारित आदेश से हुआ। विपक्षी द्वारा निम्न न्यायालय में निम्नांकित अनुतोष की मांग की गयी :-

(क) विवादित भूमि पर उनका दखल कब्जा सम्पुष्ट किया जाय।

(ख) हाल सर्वे में अपीलकर्त्ता के नाम से जो इन्द्राज हो गया है, उसे निरस्त किया जाय।

(ग) अपीलकर्त्ता के नाम से जो जमाबन्दी चल रहा है, उसे खारिज कर विपक्षी के नाम से दर्ज किया जाय।

विद्वान अधिवक्ता का आगे कथन है कि अपीलकर्त्ता द्वारा निम्न न्यायालय में उपस्थित होकर अपना लिखित जबाव दाखिल किया गया कि उनके दस्तावेज के आधार पर विपक्षी द्वारा दाखिल वाद को खारिज किया जाय, लेकिन निम्न न्यायायसलय द्वारा अपीलकर्त्ता के पक्ष में दाखिल दस्तावेज सबुत का अवलोकन किए बिना ही विपक्षी के पक्ष में आदेश पारित कर दिया गया कि अपीलकर्त्ता को खेसरा संख्या-39 पुराना की भूमि प्राप्त नही है। उनके (विपक्षी) द्वारा नकल बाजाप्ता केबाला संख्या-5486 दिनांक 13.05.1960 प्राप्त किया गया, जिसमे प्लौट 39 पुराना की भूमि बिकी नही पायी गयी। विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि मूल केबाला संख्या-5486 दिनांक 13.05.1960 एवं मूल जमाबन्दी रसीद दिनांक 24.01.1963 (दाखिल) के दूसरे पृष्ट के अवलोकन से स्वतः स्पष्ट हो जाता है कि पुराना खेसरा संख्या-48, 39 मी0 रकवा 7 बीघा 5 कट्ठा एवं पुराना खेसरा संख्या-33 मी0 रकवा 2 बीघा 10 कट्ठा कुल रकवा 9 बीघा 15 कट्ठा भूमि अपीलकर्त्ता के पूर्वेजों को केबाला द्वारा प्राप्त है, तथा मूल जमाबन्दी रसीद दिनांक 24.01.1963 के पीछले भाग के अवलोकन से स्वतः स्पष्ट हो जाता है कि खेसरा संख्या-39 पुराना में 6 बीघा 15 कट्ठा, खेसरा संख्या-48 पुराना में 10 कट्ठा एवं खेसरा संख्या-33 पुराना में 2 बीघा 10 कट्ठा मुताबिक केबाला के जमाबन्दी प्राप्त है एवं अपीलकर्त्ता द्वारा दाखिल मालगुजारी रसीद 9 बीघा 15 कट्ठा का ही है। विपक्षी द्वारा इस बात पर काफी बल दिया गया कि अपीलकर्त्ता द्वारा हाल सेर्वे खतियान में तरमीन करायी गयी है। विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि

हाल सर्वे खतियान अपीलकर्त्ता के पूर्वजों के नाम से दर्ज है एवं हाल सर्वे खतियान का प्रकाशन भी वर्ष 1988 में हो चुका है तो अपीलकर्त्ता खतियान में तरमीम दीगर-दीगर व्यक्तियों के नाम से क्यों करवाएगें।

अपीलकर्त्ता के विद्वान अधिवक्ता का आगे कथन है कि विपक्षी द्वारा वर्ष 2011 में केबाला संख्यसा-9065 एवं 9060 से कुल 2 बीघा भूमि खरीदने का दावा करते है। विपक्षी द्वारा एक जाली मोकदमा संख्या-28888/86 दाखिल किया गाया है, जिसमें अपीलकर्त्ता एवं विपक्षी अलग अलग व्यक्ति है एवं विवादित भूमि भी अलग है। विपक्षी इस मुकदमें में मध्यवर्त्ती बनकर अपने पक्ष में आदेश करवाये है, जिसमें दो तिथियों कमशः 19.08.2003 एवं 29.04.2004 में अंतिम आदेश हुआ है। विद्वान अधिवक्ता द्वारा इस बात पर ध्यान आकृष्ट कराया गया कि जब हाल सर्वे खतियान का अंतिम प्रकाशन वर्ष 1988 में हुआ तो विपक्षी वर्ष 1986 के मुकदमा में किस प्रकार मध्यवर्त्ती वादी बने तथा मोकदमा में अंतिम आदेश एक ही बार होता है तो इस मोकदमा में आदेश दो तिथियों में क्यों हुई? विपक्षी का कथन है कि खतियान में तरमीम अपीलकर्त्ता द्वारा की गयी है। तरमीम खतियान के अवलोकन से स्वतः स्पष्ट है कि विपक्षी जोखन मियाँ के नाम से भी 88 डीसमील मात्र तरमीन किया गया, जो मुताबिक केबाला संख्सा-9066 दिनांक 29.08.2011 एवं 9065 दिनांक 29.08.2011 के समान है। विपक्षी द्वारा उतने ही भूमि का तरमीन नाजायज रूप से वर्ष 2008 में करवाया गया जितनी भूमि उनके द्वारा वर्ष 2011 में खरीदगी कही जाती है। तरमीम खतियान से स्वतः स्पष्ट है कि उक्त तरमीन खतियान दिनांक 15.08.2008 अंकित है, जबकि 15 अगस्त को स्वतंख्ता दिवस के अवसर पर पूरे देश में अवकाश रहता है तो अवकाश के दिन किस प्रकार हाल सर्वे खतियान में विपक्षी द्वारा तरमीन अपने नाम से करवाया गया। स्पष्ट है कि विपक्षी द्वारा वर्ष 2011 में केबाला करवाकर वर्ष 1986 के एक जाली मुकदमा 106 बी0टी0एक्ट0 मध्यवर्त्ती बनकर गलत आदेश मोकदमा संख्य-28888/86 अपने नाम से करवा लिया गया ततपश्चात् हाल सर्वे खतियान में Antidated तरमीम दाखिल कर अवर निबंधन कार्यालय, सहरसा के केबाला संख्या-5486 दिनांक 13.05.1960 का गलत बाजपता नकल जाल बनाकर निम्न न्यायालय से नाजायज आदेश पारित करवा लिया गया जो गलत है।

वादी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा इस ओर ध्यान आकृष्ट कराया गया कि चूँकि हाल सेर्वे खतियान का अंतिम प्रकाशन वर्ष 1988 में हो चुका है, परन्तु विपक्षी द्वारा अपीलकर्त्ता के पूर्वजों के नाम से विपक्षी के विकेता द्वारा इसकी युनौती समय सीमा के अन्दर नही दिया गया, जिस वजह से केबाला वर्ष 2011 के आधार पर विपक्षी को कभी भी हक दखल व स्वामित्व प्राप्त नही हो सकता है और ना ही खतियान का तरमीन हो सकता है।

अतः भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, सहरसा द्वारा बाद संख्या-5/2012 में पारित आदेश दिनांक 04.07.2012 नाजायज, अवैधानिक एवं क्षेत्राधिकार के बाहर है, जो निरस्त योग्य है।

4. विपक्षी का अपने विद्वान अधिवक्ता के माध्यम से कथन संक्षेप में है कि मौजा-बकुनियाँ, थाना न0-24 अंचल-नवहट्टा, जिला-सहरसा के खाता पुराना-373/ खेसरा पुराना 48 रकवा 07 बीघा 05 कट्ठा वो खेसरा पुराना 39 रकवा 05 एकड़ 20 डीसमील वो खेसरा पुराना 33 रकवा 02 बीघा 10 कट्ठा भूमि विजयानन्द सिंह की थी जिसे दोनों पक्ष स्वीकार करते है। विजयानन्द सिंह को तीन पुत्र 1. श्यामानन्द सिंह, 2. प्रमोदानन्द सिंह एवं 3. ताकेतानन्द सिंह हुए वो प्रमोदानन्द के मृत्यु होने के उपरान्त उनकी पत्नी प्रमीला रमा देवी उनके उत्तराधिकार हुई। अपीलकर्त्ता के द्वारा केवाला नं0 5486 दिनांक 1305.1960 ई0 नविस्ते श्रीमती लक्ष्मी रमा देवी एवं अन्य बहक श्री फत्तुरी मल्लाह पिता गेना मल्लाह वो मोती मल्लाह वो सोती मल्लाह पिता मणि मल्लाह को खाता पुराना 373 खेसरा पुराना 48 रकवा 07 बीघा 05 कट्ठा एंव खेसरा 33 रकवा 02 बीघा 10 कट्ठा कुल रकवा 09 बीघा 15 कट्ठा भूमि अपीलार्थी के पिता को खरीदगी थी वो खेसरा पुराना 39 केवाला पर अंकित है परन्तु खेसरा पुराना 39 की भूमि अपीलार्थी के पिता को बिकी नहीं है वो खेसरा 39 के सामने कोई रकवा एवं चौहद्दी भी अंकित नहीं है। विपक्षी को मौजा बकुनियाँ में खाता पुराना 373 खेसरा पुराना 39 रकवा 01 एकड़ 174.64 डीसमील केवाला नं0-9066 वो 9065 दिनांक 29.11.2011 ई0 नविसते साभ्भ्यानन्द सिंह बहक कुशेश्वरी देवी केवाला नं0 9066 से रकवा 87.32 डीसमील अर्थात 01 बीघा वो केवाला नं0 9065 साम्यानन्द सिंह बहक जोखन मुखिया रकवा 87.32 डी0 अर्थात 01 बीघा खरीदगी है वो खरीदगी के मोताविक वो दखल कब्जा के आधार पर जमाबन्दी नं0 1201 वर्ष 2012-13 नामे कुशेश्वरी देवी वों जमाबन्दी न0 1200 वर्ष 2012-13 नामे जोखन मुखिया मोताबिक दखल कब्जा मालगुजारी रसीद प्राप्त है। अपीलकर्त्ता के द्वारा भी विजयानन्द सिंह के लड़के श्यामायानन्द सिंह से एवं अन्य फरिकेन से विसादी खेसरा नया-268 रकवा 05 एकड़ 20 डीसमील खरीदना चाहते थे परन्तु साम्यानन्द्र सिंह के द्वारा विपक्षी से बातचीत तय कर रूपया प्राप्त करने के उपरान्त अपीलार्थी को साम्यानन्द सिंह के द्वारा अपना हिस्सा 02 बीघा भूमि विपक्षी को केवाला कर दखल दे दिये, जिस पर विपक्षी अद्यतन दखलकार चले आ रहे है। साम्यानन्द सिंह के द्वारा अपीलकर्त्ता को देने से इन्कार करने पर अपीलकर्त्ता संख्या-01 ने विजयानन्द सिंह के अन्य लड़के की पत्नी प्रमीला रमा एवं साकेतानन्द सिंह से दस्तावेज संख्या 44 दिनांक 26.08.2011 द्वारा खाता (पुराना) 373 खेसरा (पुराना) 39 खाता (नया) 348 खेसरा (नया) 268 रकवा 05 एकड़ 95 डीसमील का मुख्तार नामा (पावर ऑफ ऍटार्नी) बनबाये जिससे किसी को भी अधिकार नही दिया जा सकता है। खाता (नया) 348 खेसरा (नया) 268 रकवा 05 एकड़ 20 डीसमील खतियान में दर्ज है। जबकि अपीलकर्त्ता बिन्देश्वरी मुखिया पिता स्व0 फत्तुरी मुखिया जिसका उर्फ नाम बिनो मुखिया भी है केवाला तामिल मुख्तारनामा में रकवा खतियान में दर्ज रकवा के विपरित है 05 एकड़ 95 डीसमील अंकित है तथा अपीलकर्त्ता के स्वीकारोक्ति तामिल मुख्तारनामा में विजयानन्द सिंह के वारिसानों का खतियानी मरौसी जमीन एवं दखल कब्जा होने के बात से स्वतः प्रमाणित है कि उक्त खाता खेसरा में रकवा 05 एकड़ 20 डीसमील का खतियान (नया) अपीलकर्त्ता बिनो मुखिया पिता स्व

फतुरी के नाम हाल सर्वे में अपीलकर्त्ता के कबुलनामा से गलत होना प्रमाणित है। विद्वान अधिवक्ता का आगे गथन है कि अपीलकर्त्ता के खाता (पुराना) 373 खेसरा (पुराना) 39 से बने खाता (नया) 348 खेसरा (नया) 268 केवाला से प्राप्त नही है। जबकि खतियानी रैयत विजयानन्द सिंह के पुत्र साम्यानन्द सिंह के द्वारा निबंधित दस्तावेज से अपने हिस्सा विपक्षीगन को दखल में दे दिये। निम्न न्यायालय द्वारा भी इसकी पुष्टि की गई है। विद्वान अधिवक्ता का आगे कथन है कि निम्न न्यायालय का आदेश दस्तावेज/सबूत पर आधारित है। न्यायालय द्वारा विपक्षी के दखलकार सम्पुष्टि की गई है। उनका कथन है कि अपीलकर्त्ता द्वारा दाखिल वाद किसी प्रकार से विचारनीय योग्य नही है।

5. निम्न न्यायालय का अभिलेख, आदेश, वाद अभिलेख पर उपलब्ध कागजात, अपीलकर्त्ता द्वारा दाखिल लिखित बहस दिनांक 21.11.2014, विपक्षी द्वारा दाखिल लिखित बहस दिनांक 18.11.2014 एवं उभय पक्ष द्वारा दाखिल सबुत/साक्ष्य का अवलोकन किया। उभय पक्ष के द्वारा बहस के दौरान रखे गये तथ्यों पर भी गोर किया। परिलक्षित होता है कि अपीलकर्त्ता का दावा है कि प्रश्नगत् भूमि बकास्त भूमि थी जो मालिक जमींनदार द्वारा गद बनैली द्वारा लक्ष्मी रमा देवी, प्रतीभा रमा देवी, राधा रमा देवी, दिव्यानन्द सिंह एवं प्रमोदानन्द सिंह के नाम से बन्दोबस्त की गई एवं जमाबन्दी चल रही थी। लक्ष्मी रमा देवी एवं अन्य ने बजरिये पावर ऑफ अटर्नी होल्डर दिव्यानन्द सिंह दिनांक 13.05.1960 को कुल रकवा 9 बीघा 15 कट्ठा भूमि उनके पूर्वज को फतूरी मल्लाह, मोती मल्लाह, सोती मल्लाह को बिक्री कर दिये, जिससे वे दखलकार हुए एवं वर्ष 1963 में बिहार सरकार के सरिस्ता में जमाबन्दी कायम हुआ और लगान रसीद निर्गत होता रहा एवं तत्पश्चात् वर्ष 1912 तक मालगुजारी रसीद अपीलकर्त्ता द्वारा प्राप्त किया जाता रहा। वही विपक्षी का दावा है कि अपीलकर्त्ता के पिता को केवाला संख्या-5486 दिनांक 13.05.1960 से जो भूमि खरीदगी थी उसमें पुराना खेसरा नं0 39 की भूमि अपीलकर्त्ता को बिक्री नही है। उनको (विपक्षी) पुराना खाता संख्या-373 पुराना खेसरा 39 रकवा 1 एकड़ 174.64 डीसमील केवाला संख्या 9065 एवं 9066 दिनांक 29.08.2011 नविस्ते साम्यानन्द सिंह बहक कुशेश्वरी देवी, केवाला संख्या 9066 से रकवा 87.32 डीसमील अर्थात 01 बीघा एवं केवाला संख्या 9065 साम्यानन्द सिंह बहक जोखन मुखिया रकवा 87.32 डीसमील अर्थात 01 बीघा खरीदगी है, जिसका जमाबन्दी नं0 1201 कुशेश्वरी देवी पति बिनो मुखिया के नाम से एवं जमाबन्दी 1200 जोखन मुखिया के नाम से कायम है एवं मालगुजारी रसीद प्राप्त है। कागजातों से इसकी सम्पुष्टि नहीं होती है।

वही निम्न न्यायालय के आदेश दिनांक 04.07.2012 द्वारा विपक्षी के खरीदगी भूमि पर दखल कब्जा एवं अधिकार की सम्पुष्टि की घोषणा की गई है। अपीलकर्त्ता द्वारा प्रश्चचिन्ह उठाया गया है। कि विवादित भूमि का हाल सर्वे में अंतिम प्रकाशन वर्ष 1988 में हुआ तो विपक्षी वर्ष 1986 के बी0टी0एक्ट मुकदमा में किस प्रकार मध्यवर्ती वादी बने तथा किसी मुकदमा में अंतिम आदेश एक ही बार होता है, तो किस प्रकार मुकदमा संख्या 28888/86 में विपक्षी मध्यवर्ती इसके

अतिरिक्त विपक्षी द्वारा जितनी भूमि का तरमीम खतियान में वर्ष 2008 में कराया गया, उतनी ही भूमि की खरीदगी वर्ष 2011 में की गई। इसके अतिरिक्त विपक्षी द्वारा उक्त तरमीम खतियान में दिनांक 15.08.2008 अंकित है, जबकि 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस की अवसर पर सार्वजनिक अवकाश होता है। अवकाश के दिन किस प्रकार हाल सर्वे खतियान में विपक्षी द्वारा तरमीम अपने नाम से दर्ज कराया गया ।

अपीलकर्त्ता का कथन है कि निम्न न्यायालय द्वारा इन तथ्यों एवं उनके प्रश्नगत भूमि पर स्वामित्व एवं अधिकार की अनदेखी कर विपक्षी के पक्ष में आदेश पारित किया गया है। अतः ऐसी स्थिति में मैं निम्न न्यायालय के आदेश से सहमत नही हूँ। अपीलकर्त्ता द्वारा अपने दावो के समर्थन में अपेक्षित कागजात बहस के दौरान प्रस्तुत किया गया।

7. उपरोक्त प्ररिपेक्ष्य में भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, सहरसा के वाद संख्या 05./2012 में पारित आदेश दिनांक 04.07.2012 को निरस्त (Set-aside) करते हुए अपीलकर्त्ता के पक्ष में स्वीकृत किया जाता जाता है, इस प्रकार वाद की कार्रवाई समाप्त की जाती है, निम्न न्यायालय के अभिलेख को वापस की जाए तथा पक्षकारों एवं स्थानीय अंचल पदाधिकारी को सूचित की जाए।

लेखापित एवं संशोधित।

21.11.14

आयुक्त,
कोशी प्रमंडल, सहरसा

21.11.14

आयुक्त,
कोशी प्रमंडल, सहरसा